रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249921
CG-DL-E-07112023-249921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4624] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2023/कार्तिक 15, 1945
No. 4624] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2023/KARTIKA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

का.आ. 4823(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1361 (अ), दिनांक 18 जून, 2012 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 648 के किलोमीटर 58+300 से किलोमीटर से 139+180 (कर्नाटक राज्य में होसकोटे -दोबस्पेट खंड) के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-648 के डिज़ाइन किमी 42.000 से किमी 79.600 (विद्यमान 97.350 किमी से 58.300 किमी) तक दोडबल्लापुर बाइपास से होसकोटे खंड के चार और अधिक लेन के 14.960 कि.मी. सड़क खंड की निवल लंबाई और 7.90 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.79 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा बाईपासों जिनकी लंबाई 21.850 किमी है और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

सारणी – 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
कर्नाटक राज्य में बंगलुरु ग्रामीण जिले में नल्लुरु गाँव के निकट एनएच-648 के किमी/चेनेज 64.690 पर	14.960 (10 करोड़ से अधिक की लागत और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लागत के बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निवल बाइपास लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**बाइपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपए में)**	
कर्नाटक राज्य में बंगलुरु ग्रामीण जिले में नल्लुरु गाँव के निकट एनएच-648 के किमी/चेनेज 64.690 पर	देवाणाहाल्ली	किमी 50.570	किमी 60.770	9.485	117.199	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	होसकोटे	किमी 67.160	किमी 79.600	12.365	305.874	
बाइपास की कुल लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)					**21.850**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
कर्नाटक राज्य में बंगलुरु ग्रामीण जिले में नल्लुरु गाँव के निकट एनएच-648 के किमी/चेनेज 64.690 पर	0.790^	7.90	चार या उससे अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ ब्योरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	53.47	54.01	पुल	0.54
2	54.01	54.1	आरओबी	0.09
3	55.22	55.305	ग्रेड विभाजक	0.085
4	76.728	76.803	ग्रेड विभाजक	0.075
कुल				**0.790**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष **2023-24** के लिए मासिक पास की दर **330.000/-**रूपए (तीन सौ तीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	**अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैद्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा पूरी कर ली गई

खंडों के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1752.32 करोड़ रुपए है और पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-बीएनजी/फीनोटिफिकेशन /डोड्डाबल्लापुरा-होसकोटे बाईपास/एनएच-648/पीकेजी-2/ई-225402]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2023

S.O. 4823(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No.1361 (E) dated the 18th June 2012 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometre 58+300 to kilometre 139+180 (Hoskote-Dobbaspet Section in the State of Karnataka) of National Highway No.648 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 14.960 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.90 km (having length of 0.79 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 21.850 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of for four or more lane of Dodaballapur Bypass to Hoskote from design kilometre 42.000 to 79.600 (existing km 97.350 to km 58.300) of National Highway number 648 in the State of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km/Ch. 64.690 of NH-648 near Nalluru village(s) in Bangalore Rural district of State Karnataka	14.960 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Cr).	
At Km/Ch. 64.690 of NH-648 near Nalluru village in Bangalore Rural district of State Karnataka	Devanahalli	Km 50.570.	km 60.770	9.485	117.199	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Hoskote	Km 67.160	Km 79.600	12.365	305.874	
Total Bypass length (excluding structure length > 60M)				**21.850**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km/Ch. 64.690 of NH-648 near Nalluru village in Bangalore Rural district of State Karnataka	0.790^	7.90	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

SL No	Chainage		Type and Name of Structure	Length In Km
	From	To		
1	53.47	54.01	Viaduct	0.54
2	54.01	54.1	ROB	0.09
3	55.22	55.305	Grade Separator	0.085
4	76.728	76.803	Grade Separator	0.075
Total Length				**0.790**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs.330 (Rupees Three Hundred and Thirty) for the year 2023-24 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1752.32 crore and the capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU-BNG/FeeNotification/Doddaballapura-Hoskote Bypass/NH-648/PKG-2/E-225402]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.11.07 14:42:02 +05'30'